बालूघाट/कलस्टर के चयनित संवेदक के लिए :– Do's & Don'ts

Do's:-

1. LOI निर्गत होने के उपरांत उच्चतम डाक की राशि (समानुपातिक) का 25 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में (जमा समायोजनोपरांत) निगम के खाता में RTGS /Online जमा करना।
2. प्रथम किस्त नीलामी की अनुबंधित राशि (समानुपातिक) का 50 प्रतिशत निगम के खाता में RTGS /Online अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निगम में जमा करना।
3. द्वितीय किस्त के रूप में नीलामी की अनुबंधित राशि का शेष 50 प्रतिशत की राशि का पोस्टडेटेड चेक प्रस्तुत करना। (दिनांक 31.01.2022 को निगम के खाते में भुगतान हेतु।
4. जिला खनिज फॉउन्डेशन मद में नीलामी की अनुबंधित राशि (समानुपातिक) का 2 प्रतिशत बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से संबंधित जिला में समर्पित करना।
5. आयकर एवं अन्य करो के मद में आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उसपर नियमानुसार देय अधिनियम भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर पर (2.06 प्रतिशत) (समानुपातिक) बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना में जमा करना।
6. नीलामी की अनुबंधित राशि (समानुपातिक) पर देय GST (18 %) बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना में जमा करना।
7. विहित प्रपत्र में एकरारनामा विलेख अनुबंधित राशि का 6 प्रतिशत स्टॉप शुल्क के रूप में निष्पादन हेतु जमा करना तथा अनुबंधित राशि का 2 प्रतिशत निबंधन शुल्क में जमा कर 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा विलेख का संबंधित जिला के निबंधन कार्यालय में जा कर प्रभारी पदाधिकारी के साथ निबंधन कराना।
8. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से CTE/CTO प्राप्ति हेतु ऑन–लाईन आवेदन समर्पित करना।
9. सभी देय किस्तों के जमा, EC प्राप्ति एवं CTE/CTO प्राप्ति उपरांत संबंधित बालूघाटों का Pre-level, RL, Geo- Coordinate तथा पट्टा धारण क्षेत्र की चौहद्दी पर नियमित अन्तरालों में सीमा स्तम्भ का स्थापना कर फोटोग्राफ सहित पी0एम0यू0 को ई–मेल के माध्यम से सुचित करना।
10. User -ID / Password प्राप्त एवं सक्रिय होने के उपरांत ही नीलामीत बालूघाटों के निर्धारित खनन क्षेत्र से नियमानुसार बालू का खनन करेगें।
11. वाहन पर सिर्फ सुखा बालू ही लोड किया जायेगा।
12. वाहन क्षमता के अनुरूप ही वाहनों पर बालू लोड किया जायेगा एवं ई–चालान निर्गत किया जायेगा।
13. बालू लदे वाहन को तारपोलिन से ढ़कने के उपरांत ही निर्गत ई–चालान को संबंधित वाहन के चालक/मालिक को सुपुर्द करें।

Don'ts:-

1. चयनित संवेदक जमा अग्रधन की राशि को प्रथम किस्त की राशि में समायोजित नहीं करेगा।
2. प्रथम किस्त की राशि एवं अन्य देय राशि/कर ई–नीलामी के चार कार्यदिवस के बाद जमा नहीं करें अन्यथा कम से कम एक सप्ताह का सूद की राशि का गणना कर अधिरोपित किया जायेगा।
3. CTE/CTO प्राप्ति हेतु यदि कलस्टर में एक से अधिक बालूघाट सम्मलित हैं, तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के बेवसाईट पर सभी बालूघाटों के लिए एक ऑन–लाईन आवेदन जमा नहीं करे। बालूघाटवार ऑन–लाईन आवेदन जमा करना सुनिश्चित करे।